जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मधुबनी।

प्रेस विज्ञप्ति

मनरेगा में कार्यरत पंचायत रोजगार सेवक दिनांकः 06/05/2015 से सामूहिक अवकाश पर हैं जिसके कारण मनरेगा अधिनयम के प्रावधानों के अंतर्गत मांग के अनुरूप मजदूरों को 15 दिनों में काम देना संभव नहीं हो पा रहा है। मनरेगा कर्मियों का यह आचरण मनरेगा अधिनियम के कार्यान्वयन में बाधा डाल रहा है।

इस गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से दिनांकः 27/05/2015 एवं दिनांकः 15/06/2015 को पंचायत रोजगार सेवक संघ जिला इकाई, मधुबनी के प्रतिनिधियों से वार्ता कर प्रभार के अभिलेखों को जमा करने का निदेश दिया गया था जिसका अनुपालन पंचायत रोजगार सेवकों द्वारा नहीं किया गया है और न ही वे अपने कर्तव्य पर उपस्थित हुए हैं।

विभागीय पत्रांकः 235273 दिनांकः 17/06/2015 के द्वारा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पंचायत रोजगार सेवकों का अनुबंध रद्द करने का निदेश दिया गया है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में मधुबनी जिले के सभी पंचायत रोजगार सेवक को इस विज्ञप्ति के माध्यम से निदेशित किया जाता है कि 48 घंटे के अन्दर अपने कर्तव्य पर उपस्थित हों अन्यथा संविदा शर्तों के अधीन अनुबंध समाप्त करने की कार्रवाई की जायेगी।

उप विकास आयुक्त,
मधुबनी।